2891DR
23/11/19

GA 1388
23/11/19

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्या–2616 / सत्तर–3–2019

कुल सचिव का कार्यालय
डाक प्राप्ति
संख्या 804
तिथि 22/11/19
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 21 नवम्बर, 2019

विषयः– मा0 संसद–सदस्यों / राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार / अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संसदीय शिष्टाचार / पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के पत्र संख्या–2 / 2019 / 1155 / 90–सं0शि0प0का0 / 2019–02(सं0शि0) / 2015, दिनांक 22.10.2019 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा0 संसद सदस्यों / राज्य विधान मण्डल के सदस्यों की प्रति शिष्टाचार / अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से संसदीय शिष्टाचार / पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा जारी किए गए शासनादेश संख्या–555 / 90– सं0शि0प0क0 / 17–2(सं0शि0) / 2015, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 एवं प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग की ओर से आनलाइन निर्गत शासनादेश संख्या–05 / 2018 / 1037 / 90–सं0शि0प0क0 / 18–2(सं0शि0) / 2015, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रश्नगत विषय में निरन्तर दिशा–निर्देश जारी होने के बावजूद मा0 संसद सदस्यों / राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार / अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य–प्रदर्शन का पालन सुचित रूप से नहीं किया जा रहा है और यथोचित शिष्टाचार / प्रोटोकाल का पालन न किए जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। इसी संदर्भ में मा0 सभापति की अध्यक्षता में दिनांक 02 सितम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश, विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की बैठक में मा0 सदस्यगणों द्वारा प्रदेश के अधिकारियों द्वारा समुचित प्रोटोकाल न प्रदान किए जाने का मामला समिति के समक्ष उठाया गया है। उक्त बैठक में मा0 सभापति द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में की गयी अपेक्षानुसार मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 आनलाइन निर्गत शासनादेश दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– इस अतिरिक्त यह भी निदेश हुआ है कि जनप्रतिनिधि, जो कि सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस में एक निर्धारित प्रास्थिति रखते है, उनके साथ उपयुक्त शिष्टाचार / अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य–प्रदर्शन शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शिष्टाचार सम्बन्धी शासन के निर्देशों का उल्लंघन उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–3 (2) की परिधि में आता है, जो

DR (N.T.)
22.11.2019.
Registrar
21/11
G.A.
O.S.
23/11/19
I/c Website

उपकुलसचिव / कुलसचिव जी
कृ. यदि सहमत हों तो उपरोक्त के पालन हेतु समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं समस्त उपकुलसचिव की सूचनार्थ इंचार्ज वेबसाइट को पत्र मूल रूप में अग्रसारित कर दिया जाये।
25/11/19
25/11/19
25.11.19

इस प्रकार है :–

नियम–3–का प्रस्तर–(2) "प्रत्येक सरकार कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण होगा।"

5– यदि किसी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा शिष्टाचार उल्लंघन किया जाता है, तो उनके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या–2616(1)/सत्तर–3–2019–तद्दिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

G.O.HES

संख्या-2585/70-3-2019

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या-2/2019/1155/90-सं0शि0प0का0/2019-02(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह II,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग — लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर, 2019

विषयः-मा0 संसद-सदस्यों / राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02 (सं0शि0)/2015 दिनांक 18 अक्टूबर,2017 एवं प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग की ओर से ऑन लाइन निर्गत शासनादेश संख्या– 05/2018/1037/90-सं0शि0प0का0/18-02(सं0शि0)/2015 दिनांक- 16 अक्टूबर, 2018 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत विषय में निरन्तर दिशा-निर्देश जारी होने के बावजूद शासन के संज्ञान में यह आया है कि मा0 संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है और यथोचित शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन न किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। इसी सन्दर्भ में मा0 सभापति की अध्यक्षता में दिनांक-02 सितम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की बैठक में मा0 सदस्यगणों द्वारा प्रदेश के अधिकारियों द्वारा समुचित प्रोटोकाल न प्रदान किये जाने का मामला समिति के समक्ष उठाया गया है। उक्त बैठक में मा0 सभापति द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सम्बन्ध में समस्त अधिकारियों को पुनः कड़े दिशा- निर्देश निर्गत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने स्तर से अपने नियंत्रणाधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि मा0 सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति के निर्देशों के आलोक में मा0 संसद-सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार / अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में

क्रमशः पृष्ठ-2

(आर० रमेश कुमार) सचिव, उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश

(अम्बर लाल) निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन

(श्रवण कुमार सिंह) संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन

(विरेन्द्र कुमार सिंह) अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से संसदीय कार्य विभाग (संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग) द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02(सं0शि0)/2015 दिनांक 18 अक्टूबर,2017 एवं ऑन-लाइन निर्गत शासनादेश संख्या–05/2018/1037/90-सं0शि0प0का0/18-02 (सं0शि0)/ 2015 दिनांक- 16 अक्टूबर, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- उपर्युक्त निर्देश इस आशय से पुन: प्रसारित किए जा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि, जो कि सब्सिडियरी वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस में एक निर्धारित प्रास्थिति रखते हैं, उनके साथ उपयुक्त शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य-प्रदर्शन शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शिष्टाचार सम्बन्धी शासन के निर्देशों का उल्लंघन उ0प्र0 राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम-3 (2) की परिधि में आता है, जो इस प्रकार है:-

नियम-3.-का प्रस्तर-(2) "प्रत्येक सरकार कर्मचारी, सभी समयों पर, व्यवहार तथा आचरण को विनियमित करने वाले प्रवृत विशिष्ट या अन्तर्निहित शासकीय आदेशों के अनुसार आचरण करेगा।"

अत: शिष्टाचार उल्लंघन के मामलों में नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता पर इन आदेशों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के संज्ञान मे लाने तथा तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

(जे0पी0 सिंह II)
प्रमुख सचिव।

संo-2/2019/1155 (1)/90-सं0शि0प0का0/19-02(सं0शि0)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2- विधांन परिषद सचिवालय (समिति अनुभाग-2) को मा0 संसदीय अध्ययन समिति के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ग्रीश कुमार वैश्य)
विशेष सचिव।